संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस-2015-1074/2012

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक : 08 सितम्बर, 2015

विषय- राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे भवन निर्माण कार्यो के मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की वर्तमान में प्रभावी लागत सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे भवन निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्यां को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा ''असीमित'' एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को द्वितीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 25.00 करोड़ की सीमा तक व गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक तथा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक व गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक निर्धारित की गयी है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में श्रम एवं सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकरण पर पुनर्विचार कर निर्णय लेते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 में उक्तानुसार निर्धारित राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों के मानकीकृत/ गैर मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्यों की लागत सीमा को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

श्रेणी	**राजकीय निर्माण एजेन्सियों के नाम**	**मानकीकृत**	**गैर मानकीकृत**
प्रथम श्रेणी	1. लोक निर्माण विभाग 2. उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 3. कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)	असीमित (यथावत्)	असीमित (यथावत्)
द्वितीय श्रेणी	1. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग 2. उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	रू0 50.00 करोड़ की सीमा तक	रू0 25.00 करोड़ की सीमा तक
तृतीय श्रेणी	1. उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, 2. उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)	रू0 20.00 करोड़ की सीमा तक	रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक

3. उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शासनादेश की अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव ।

...3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/ई-8-1092(1)/दस-2015-1074/2012 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
10. निदेशक, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।